न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2019/00034

अपील संख्या - 18/19

मोहनी देवी पत्नि शिवचरण जाति मीना निवासी बामनवास पटटीकलां ढाणी अभिमन्यु तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. कमल बाई पत्नि स्वर्गीय रामसिह
2. धारा सिह पुत्र रामस्वरूप जातियान मीना निवासीयान बामनवास पटटीकलां अभिमन्यु तहसील बामनवास
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

रेस्पो०

अपील विरूद्व मु०नं० 73/17 निर्णय दिनांक 29.1.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला० श्री छुटटन लाल बैरवा

अभिभाषक रैस्पो० श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 18.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.1.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो० संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान व गेरसायल संख्या 1 की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि हाल खसरा न० 2280 रकबा 36 ऐयर, 2286 रकबा 83 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है० गाम बामनवास पटटीकलां मे स्थित है। जिसमे सायलान व गैर सायल न० 1 का नियमानुसार हिस्सा है एवं अपने अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त सामलाती भूमि पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा है। उक्त भूमि मे सायल संख्या 1 व सायल संख्या 1 की सास व सायल संख्या 2 की मॉ मूलीदेवी तथा गैर सायल सं० 1 ने दिनांक 13.7.04 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संयुक्त खातेदारान विक्रेतागण रामावतार गिर्राज हरीश विजय पुत्रान गोकल व रुकमणी वेवा गोकल से क्रय किया है। उक्त विक्रय के मुताबिक भूमि खसरा न० 2236 रकबा 83 ऐयर मे से 33 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर मे से 18 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है० मे से 70 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 है० भूमि की खातेदारी सायल संख्या 1 के द्वारा क्रय की गई तथा इसी प्रकार भूमि खसरा न० 2280 रकबा 36 ऐयर मे से 25 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर मे से 18 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है० मे से 78 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 है० भूमि की खातेदारी सायल संख्या 1 की सास व संख्या 2 की मॉ मूली देवी तथा गैर सायल संख्या 1 द्वारा खसरा न० 2280 रकबा 36 ऐयर मे से 11 ऐयर, 2286 रकबा 83 ऐयर मे से 50 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है० मे से 1 है० भूमि क्रय की गई । उक्त भूमि से ही संयुक्त ... है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तथा सायलान व गैर सायल संख्या 1 की अकेले की भूमि नही है बल्कि सभी का नियमानुसार हिस्सा है। राजस्व कर्मचारियो ने सायल व गैर सायल संख्या 1 की क्रय शुदा उक्त शामलाती भूमि को विधि विरूद्व तरीके से गैर सायल संख्या 1 से साज कर बिना किसी विभाजन की प्रक्रिया के शुद्वि पत्र दिनांक 11.10.04 के बहाने राजस्व रिकार्ड मे हेरा फेरी कर संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 2280 रकबा 36 ऐयर, 2286 रकबा 83 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है0 भूमि के अलग अलग खाते कायम कर सायल संख्या 1 की वर्तमान खातेदारी मे खसरा न0 2287 रकबा 18 ऐयर, 8186/2286 रकबा 33 ऐयर, 8187/2298 रकबा 70 ऐयर की भूमि की खातेदारी अलग दर्ज कर दी इसी प्रकार भूमि खसरा न0 8185/2280 रकबा 25 ऐयर, 8188/2298 रकबा 78 ऐयर, 8189/2287 रकबा 18 ऐयर की खातेदारी सायल संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी तथा शेष बची हुई भूमि खसरा न0 2280 रकबा 11 ऐयर , 2286 रकबा 50 ऐयर, 2298 रकबा 1 है0 भूमि गैर सायल संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियो ने उक्त शामलाती भूमि को बिना विभाजन के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग अलग खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड आफ राईटस की पवित्रता को भंग किया है। जबकि राजस्व कर्मचारियो को इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती भूमि को बिना विभाजन की प्रक्रिया अपनाये अलग अलग खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई कार्यवाही नल एण्ड बाईड है तथा धारा 53 आर टी एक्ट के खिलाफ है। जो पूर्व की भॉति दुरूस्त होने योग्य है। भूमि क्रेतागण द्वारा क्रय किये जाने के बाद से व पूर्व से संयुक्त रही है। मौका नक्शा मे आज भी पूर्व की स्थिति कायम है। सायलान एंव गैरसायलान के बीच मीटस एण्ड बाउन्डस से बंटवारा किया जाना आवश्यक है। भूमि खसरा न0 2280 के कुल हिस्से मे सायलान ने अपने मवेशी इत्यादि बांधने व चारा फूस आदि रखने व रहने हेतु वाडा व घर बना रखा है। खसरा न0 2298 के दक्षिण दिशा की तरफ सार्वजनिक आम रास्ता है जो टोडाला की ढाणी को जाता है। गैरसायल संख्या 1 व उसका परिवार जबरन सायलान को उक्त संयुक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। भूमि खसरा न0 2298 रास्ते के पास होने के कारण गैर सायल संख्या 1 भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। सायलान के कब्जे काश्त व खातेदारी की के खेत पर आने जाने मे व्यवधान पैदा करती है। जबकि सायलान का भी रास्ते के पास वाली भूमि मे नियमानुसार हिस्सा है। इसलिए गैरसायलान को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमि खसरा न0 2287 रकबा 18 ऐयर, 8186/2286 रकबा 33 ऐयर, 8187/2298 रकबा 70 ऐयर, 8185/2280 रकबा 25 ऐयर, 8188/2298 रकबा 78 ऐयर, 8189/2287 रकबा 18 ऐयर, खसरा न0 2280 रकबा 11 ऐयर , 2286 रकबा 50 ऐयर, 2298 रकबा 1 है0 स्थित ग्राम बामनवास पटटीकलां ए तहसील बामनवास वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी अनुसार बिना विभाजन के किसी प्रकार की तरमीम नक्शा ट्रेस मे नही करे न किसी अन्य से करावे तथा सायलान के हिस्से की उक्त भूमि के कब्जे काश्त व खातेदारी के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा न करे। पूर्व अनुसार कब्जे काश्त व मौके की स्थिति बहाल रखी जावे ... अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि खसरा न0 2287, 8186/2286, 8187/2298, 8185/2280, 8188/2298, 8189/2287 खसरा न0 2280 , 2286, 2298 के मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु उभयपक्ष को ताफैसला दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पाबंद किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैर सायला न0 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रैस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश खिलाफ कानून व जाब्ता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो व साक्ष्य सामग्री के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय टी आई के आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति पर ना तो कोई गौर किया है ना ही कोई विवेचन किया गया है और सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र टी आई का निस्तारण करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया। इस कारण आक्षेपित आदेश विधि की मंशा के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नही किया कि जब उक्त प्रकरण से संबंधित प्रथम टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 1/15 ही जब विचाराधीन है तो ऐसे मे इसी प्रकरण मे दूसरा प्रार्थना पत्र टी आई पेश रफत ही नही था। जिस तरह से सायलान ने यह दूसरा प्रार्थना पत्र टी आई पेश किया उसी से यह स्पष्ट था कि सारी कार्यवाही साजिशी पूर्ण व दुर्भावना पूर्ण तरीके से की गई कार्यवाही है। जबकि टी आई जैसा अनुतोष इक्वीटेविल रिलीफ होता है। जिसको सायलान को अदालत के सामने क्लीन हैण्ड से आना होता है। अन्यथा ऐसा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य रहता है। मौजूद प्रकरण मे सायलान किसी भी तरह से क्लीन हैण्ड से अदालत के सम्मुख नही आये है यह स्पष्ट है। इस तरह उक्त प्रार्थना पत्र टी आई खारिज किया जाना चाहिए था। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रार्थना पत्र टी आई स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय ना तो प्रार्थना पत्र टी आई मे अंकित तथ्यो पर ही गौर किया है ना ही गैर सायल अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव पर ही गौर किया है ना ही प्रस्तुत दस्तावेजात पर ही गौर किया है ना ही प्रस्तुत दस्तावेजो पर गौर किया है। प्रार्थना पत्र टीआई के मद न0 2 मे सायलान स्वयं ने लिखा है कि सायलान व गैरसायल संख्या 1 उक्त भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर उपयोग करते चले आ रहे है। उक्त पंक्तियो को गौर से पढने से स्पष्ट है कि सायलान स्वयं की उक्त भूमि पर सायलान व गेरसायल संख्या 1 का अलग अलग कब्जा अलग अलग हिस्से पर होना मानते है। गैर सायल न0 1 अपीलार्थी का यह कहना है कि उन्होने जो भूमि खरीदी है उसका विक्रेतागण ने पहले ही विभाजन कर रखा था और विभाजन अनुसार की अलग हिस्सा गैरसायल न0 1 ने विक्रेतागण से खरीदा है तथा गैर सायल न0 1 का खरीद के अनुसार अलग से ही कब्जा काश्त है। जो तथ्य गैर सायल न0 1 के पक्ष मे विक्रेतागण ने जो रजिस्ट्री बयनामा जिसे की सायलान भी मानते है को देखने से भी स्पष्ट है कि ऐसे मे जब गैर सायल संख्या 1 अपीलार्थी की खरीदशुदा भूमि अलग है [illegible] अलग है और जितनी भूमि खरीदी है जिस पर कब्जा काश्त है उसी [illegible] है तो ऐसे मे सायलान का किसी तरह का कोई दावा नही [illegible] भी अदालत मातहत ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तथ्यो पर गौर किये बिना ही प्रार्थना पत्र टी आई स्वीकार करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 29.1.19 को निरस्त किया जाकर सायलान का प्रार्थना पत्र टी आई हर दो अदालत खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि भूमि हाल खसरा न0 2280 रकबा 36 ऐयर, 2286 रकबा 83 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है0 ग्राम बामनवास पटटीकलां मे स्थित है। जो अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है। जिस पर संयुक्त खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात को सायल संख्या 1 व सायल संख्या 1 की सास व सायल न0 2 की मां मूली देवी तथा गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 13.7.04 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रेतागण रामावतार,गिर्राज,हरीश,विजय पुत्रान गोकल व रूकमणी बेवा गोकल से क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के मुताबिक भूमि खसरा न0 भूमि खसरा न0 2286 रकबा 83 ऐयर मे से 33 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर मे से 18 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है0 मे से 70 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि की खातेदारी रेस्पो/सायल संख्या 1 के द्वारा क्रय की गई तथा इसी प्रकार भूमि खसरा न0 2280 रकबा 36 ऐयर मे से 25 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर मे से 18 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है0 मे से 78 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि की खातेदारी सायल संख्या 1 की सास व संख्या 2 की मॉ मूली देवी के द्वारा क्रय की गई तथा अपीलांट/गैर सायल संख्या 1 द्वारा खसरा न0 2280 रकबा 36 ऐयर मे से 11 ऐयर, 2286 रकबा 83 ऐयर मे से 50 ऐयर , 2298 रकबा 2.48 है0 मे से 1 है0 भूमि क्रय की गई । उक्त भूमि से ही संयुक्त भूमि रही है तथा अपीलांट/सायलान व रेस्पो/गैर सायल संख्या 1 की अकेले की भूमि नही है बल्कि सभी का नियमानुसार हिस्सा है। राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पो/सायल व अपीलांट/गैर सायल संख्या 1 की क्रय शुदा उक्त शामलाती भूमि को विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट/गैर सायल संख्या 1 से साज कर बिना किसी विभाजन की प्रकिया के शुद्वि पत्र दिनांक 11.10.04 के बहाने राजस्व रिकार्ड मे हेरा फेरी कर संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 2280 रकबा 36 ऐयर, 2286 रकबा 83 ऐयर, 2287 रकबा 36 ऐयर, 2298 रकबा 2.48 है0 भूमि के अलग अलग खाते कायम कर रेस्पो/सायल संख्या 1 की वर्तमान खातेदारी मे खसरा न0 2287 रकबा 18 ऐयर, 8186/2286 रकबा 33 ऐयर, 8187/2298 रकबा 70 ऐयर की भूमि की खातेदारी अलग दर्ज कर दी इसी प्रकार भूमि खसरा न0 8185/2280 रकबा 25 ऐयर, 8188/2298 रकबा 78 ऐयर, 8189/2287 रकबा 18 ऐयर की खातेदारी सायल संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी तथा शेष बची हुई भूमि खसरा न0 2280 रकबा 11 ऐयर , 2286 रकबा 50 ऐयर, 2298 रकबा 1 है0 भूमि अपीलांट/गैर सायल संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। भूमि खसरा न0 2280 के कुछ हिस्से मे रेस्पो/सायलान ने अपने मकान व बाडा बना रखा है तथा खसरा न0 2298 के दक्षिण दिशा की तरफ सार्वजनिक रास्ता होने के कारण अपीलांट व उसका परिवार रेस्पो/सायल को भूमि से बेदखल करना चाहते थे। अपीलांट द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साज करके संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना प्रकिया [illegible] करा लिया जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। तथा रास्ते की संयुक्त भूमि [illegible] चाहते थे। अपीलांट द्वारा सायल/रेस्पो0 के कब्जे काश्त मे मजाहमत किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे का वाद विचाराधीन है। संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी की आराजीयात को अपीलांट द्वारा खुर्द बुर्द किया जाता है तो अनावश्यक पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता की स्थिति उत्पन्न होगी। आराजी खसरा न0 2279 को छोडकर अन्य आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है जिसके बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे हिस्से एवं अधिकार साक्ष्य के उपरान्त तय होगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता की स्थिति के मद्वेनजर ही कानूनन उभयपक्ष को विवादित आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा कायम करने के आदेश विधिवत रूप से पारित किये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई ।वधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात को अपीलांट व रेस्पो0 द्वारा विक्रेतागण रामावतार,गिर्राज,हरीश,विजय पुत्रान गोकल व रूकमणी बेवा गोकल से हिस्से अनुसार कय किया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध छाया प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्रो से होती है। पक्षकारो के मध्य विवादित आराजीयात को लेकर बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने एवं बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना तथा पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता उत्पन्न नही हो इस कानूनी बिन्दु के मद्वेनजर विवादित आराजीयात की ताफैसला दावा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश विधि अनुसार दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 73/17 मे पारित निर्णय दिनांक 29.1.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner